दिनांकः 18.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड 01 घायल सहित कुल 02 शातिर गौकश/ बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से गोकशी करने के उपकरण, 01 तमंचा/ 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.03.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत नानौता क्षेत्र मे रेलवे स्टेशन के पास जंगल से 03 गौवंश की हत्या हो जाने के संबन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 58/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एंव दिनांक 17.03.2025 को ग्राम खुडाना के जंगल मे गौवंश के अवशेष मिलने के संबन्ध मे मु0अ0सं0 59/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व गौकश/शातिर अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता जनपद सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17/18.03.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस तिलफरा चैक पोस्ट पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग कर रही थी, तभी ग्राम भोजपुर की तरफ से बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का ईशारा किया गया। तभी मोटरसाइकिल सवार हडबडाहट में दोनो व्यक्ति मोटरसाइकिल मोडकर गांव चन्देना माल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने का प्रयास करने लगे। हडबडाहट में मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को नजदीक आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान **जावेद पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला गुलशन नगर आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली** के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर गन्ने के खेत में भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा फरार बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया,जिसकी पहचान **मौ0 फुरकान पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला काजीवाडा आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली** के रुप में हुई है।अभियुक्त जावेद के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण(01 दाव,02 छुरी, 02 रस्सी) व 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 60/2025 धारा 109, 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हमें अक्सर पैसो की तंगी रहती है। हम दोनों मिलकर जंगल मे घूमने वाले आवारा पशुओ को पकडकर उनको मारकर उनके माँस को ले जाकर आस पास के क्षेत्रों में बेच बेच देते है। जिससे हमे अच्छा मुनाफा हो जाता है। हमने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर दिनाँक 15.03.2025 को रात्रि के समय नानौता रेलवे स्टेशन के पास जंगल मे तीन आवारा पशुओ की हत्या की थी एंव 01 पशु को ग्राम खुडाना के जंगल मे हत्या की थी। आज जब हम आवारा पशुओ की तलाश मे जंगलो में जा रहे थे तभी पुलिस को वहाँ पर चैकिंग करता देख हम घबरा गये और पुवलिस से बचने के लिये हमने पुलिस पर फायरिंग कर दी व बाद में पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. जावेद पुत्र नफीस निवासी मौ0 गुलशन नगर आजाद चौक थाना को0 शामली जनपद शामली
2. मौ0 फुरकान पुत्र महबूब निवासी काजीवाडा आजाद चौक थाना को0 शामली जनपद शामली

गिरफ्तार अभियुक्त जावेद का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 318/2016 धारा 3/5 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली
2. मु0अ0सं0 697/2017 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना को0 शामली जनपद शामली
3. मु0अ0सं0 808/2019 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना को0 शामली जनपद शामली
4. मु0अ0सं0 489/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0 शामली जनपद शामली
5. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 109, 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त फुरकाना का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 109, 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 तंमचा/01 खोखा/01 जिंदा कारतूस.315 बोर
- गौकशी के उपकरण (01 दाव,02 छुरी, 02 रस्सी)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (बिना नंबर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. सचिन पूनिया थानाध्यक्ष थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः18.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस टीम व हरियाणा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा यूपी व गैर राज्यो से वाहनो की चोरी करने वाले एंव चोरी किये हुए वाहनो से पार्टस को अलग-अलग करके बेचने वाले 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए वाहनो के पार्टस व वाहनो को काटने के औजार बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी गए वाहनों की अवैध कटान की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम व हरियाणा पुलिस टीम की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 17.03.2025 को हरियाणा पुलिस की सूचना पर 03 शातिर वाहन चोर/ अभियुक्तगण **1. उस्मान पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. जुबैर अहमद पुत्र वसीम अहमद निवासी कमैला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 3. उवैश पुत्र वसीम अहमद निवासी कमैला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को फन्दपुरी नकुड़ रोड पर स्थित एफसीआई का खण्डरनूमा भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 03 कार के इंजन जिसमें 1.टाटा गाड़ी का इंजन नम्बर 2788141001098J 2. टाटा गाड़ी का इंजन नम्बर 278814103802 3. महेन्द्र पिकअप गाड़ी बिना इंजन नम्बर, 05 बैट्री , 10 खिड़की कार की, गाड़ियों के फुट रेस्ट, 02 जोड़ी गाड़ी की सीट,पिकअप गाड़ी अशोक लियलऐण्ड नम्बर HR 58 B 7133 के काटे हुए पार्टस (गाड़ी की बॉडी चैसिस केविन खिड़कीयाँ , तेल की टंकी, सीट , लाईट व अलग- अलग पार्टस) एंव गाड़ी को काटने के औजार जिसमें 02 पेचकस, 06 चाबी, 04 पाने, 02 छैनी, 01 गैस कटर ,02 बड़े ऑक्सीजन गैस सिलेंडर व 01 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद हुए । **पिकअप गाड़ी अशोक लियलऐण्ड नम्बर (HR58B7133) के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 17 हुण्डा जगाधरी,हरियाणआ में मु0अ0सं0 76/25 धारा 303 बीएनएस** पंजीकृत है। **बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 76/25 धारा 317(5)/317(2)/318(4)/324(5)/111 बीएनएस** पंजीकृत किया गया । हरियाणा व नकुड़ पुलिस की संयुक्त टीम पिकअप गाड़ी में लगे जीपीएस की लोकशन को ट्रैक करते हुए फन्दपुरी में बंद पड़े गोदाम में पहुँची थी,जिसे दानिश नाम के व्यक्ति ने किराये पर ले रखा था।जहाँ पर दानिश व उसका अन्य साथी मिलकर निलामी में खरीदी हुई गाड़ियों की आड़ में चोरी किए गए वाहनो की कटाई करते थे।दानिश ने थाना मण्डी क्षेत्र के रहने वाले दो मजदूरो को भाड़े पर रखा हुआ था जो गाड़ी कटान का कार्य करते थे।मुख्य साजिश कर्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है।मुख्य साजिशकर्ता को शीघ्र ही गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया की हम तीनो व हमारे दो अन्य साथी मिलकर गाड़ियों को विभिन्न स्थानों से चोरी कर गाड़ी/कार को काटकर उनके पार्टस को बेचने का काम करते है। हम लोग नीलामी की गाड़ियों भी खरीदते है उन्ही की आड़ में हम चोरी की कार को काटकर पार्टस अलग- अलग कर बेचने का काम करते है। जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। हमारे दो अन्य साथी यमुनानगर हरियाणा में भी है जो वहाँ से गाड़ी लाते है और हम उन्हे काटकर उनके पार्टस को उचित दामो में बेचकर मुनाफा कमाकर आपस में बाँट लेते है । जो गाड़ी हमारे साथी हरियाणा से लाये थे उसे हम दिनांक 17.03.2025 को काट रहे थे तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. उस्मान पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. जुबैर अहमद पुत्र वसीम अहमद निवासी कमैला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उवैश पुत्र वसीम अहमद निवासी कमैला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 03 इंजन (1. टाटा गाड़ी का इंजन नम्बर 2788141001098J 2. टाटा गाड़ी का इंजन नम्बर 278814103802 3. महेन्द्र पिकअप गाड़ी बिना इंजन नम्बर)
- 05 बैट्ररी
- वाहनो को काटने के उपकरण (02 पेचकस, 06 चाबी, 04 पाने,0 2 छैनी, 01 गैस कटर ,02 बड़े ऑक्सीजन गैस सिलेंडर व 01 एलपीजी गैस सिलेंडर)
- पिकअप गाड़ी अशोक लियलऐण्ड नम्बर HR58B7133 के काटे हुए पार्टस (गाड़ी की बॉडी चैसिस केविन खिड़कियां , तेल की टंकी, सीट , लाईट व अलग अलग पार्टस) सम्बन्धित मु0अ0सं0 76/25 धारा 303 बीएनएस थाना सेक्टर 17 हुण्डा जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा।
- 10 खिड़की (गाड़ियों की)
- गाड़ियों के फुट रेस्ट
- 04 सीट (गाड़ी की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अभिषेक कुशवाह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 अमित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 राजेश कुमार एन्टी व्हीकल थैप्ट प्रभारी यमुनानगर हरियाणा।
5. है0का0 हरविलास 209 एन्टी व्हीकल थैप्ट यमुनानगर हरियाणा।
6. का0 रविन्द्र कुमार 655 एन्टी व्हीकल थैप्ट यमुनानगर हरियाणा।
7. का0 धर्मेन्द्र 517 एन्टी व्हीकल थैप्ट यमुनानगर हरियाणा।
8. है0का0 971 राशिद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 552 हरेन्द्र थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 18.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 10.03.2025 को वादी **शमशाद पुत्र यासीन हाल निवासी सिराज कालोनी, गली नं0 41थाना मण्डी, सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अशवत पुत्र इसरार निवासी हसन कालोनी भूरे वाली मस्जिद सहारनपुर,2.अब्दुल करीम पुत्र नाज़ीर निवासी 786 नगर,3. रिहान पुत्र प्रवेज निवासीगण जैन कालोनी, इलाही मस्जिद, सहारनपुर व 4. आशु पुत्र दिलबहार निवासी अहमद नगर द्वारा वादी के पुत्र अतहर के साथ गाली गलौच करना व जान से मारने की नियत से गले पर चाकू मारना जिससे वादी के पुत्र अतहर का गला कट जाने के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 96/25 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1. अब्दुल करीम पुत्र नाजीर निवासी 786 नगर, हसन कालोनी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर 2. रिहान पुत्र प्रवेज निवासी जैन कालोनी, अहमद नगर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर** को कलसिया रोड कब्रिस्तान के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल करीम ने बताया कि अतहर की हमारे दोस्त अशवत के साथ किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गयी थी। दिनांक 09.03.2025 की रात को करीब 09.30 बजे मैं व मेरे दोस्त रिहान, आशु व अशवत के साथ रहमानिया मस्जिद के पास खडे थे की तभी अतहर अपने दोस्त के साथ रहमानिया मस्जिद के सामने से जा रहा था। तभी हमने अतहर को अकेला पाकर रहमानिया मस्जिद से कुछ दूर आगे चलकर अहमद नगर चौक पर जान से मारने की नियत से घेर लिया था। मैंने, रिहान व आशु ने मिलकर अतहर को पकड लिया था। तभी अशवत ने अपने साथ लिये पेपर कटर से अतहर के गले पर वार कर दिया था जिससे अतहर का गला कट गया और गले से खून निकलने लगा। हम सभी घबराकर वहाँ से चले गये। मैं व मेरा साथी रात ही वापस आये थे और आज कहीं बाहर जाने की फिराक में थे कि तभी पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

1. अब्दुल करीम पुत्र नाजीर निवासी 786 नगर, हसन कालोनी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. रिहान पुत्र प्रवेज निवासी जैन कालोनी, अहमद नगर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 516 सोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 18.3.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.03.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **दीपक उर्फ जलेबी पुत्र राजेंद्र निप्रतीक विहार प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** को ग्राम फतेहपुर जट्ट से पहले भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 124/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास तमंचा रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक उर्फ जलेबी पुत्र राजेंद्र नि0 प्रतीक विहार प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः –

- 01 तमंचा/ 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उर्फ जलेबी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 796/19 धारा 147/148/149/307/323/325/452/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 118/23 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 322/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 बबलू कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0430 सतपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0240 सोनू थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 18.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त शोभित उर्फ शोवी पुत्र तेजपाल निवासी वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 740/18 व मु0अ0स0 179/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना मण्डी को मौहल्ला वर्धमान कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

शोभित उर्फ शोवी पुत्र तेजपाल निवासी वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 18.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी **अभियुक्त नईम पुत्र यामीन निवासी सराय शाहजी थाना मण्डी सहारनपुर** को वाद स0-1965/2020 मु0अ0सं0-321/11 ,धारा 498-ए/323/504 भादवि चालानी थाना मण्डी में मोहल्ला सराय शाहजी थाना मण्डी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नईम पुत्र यामीन निवासी सराय शाहजी थाना मण्डी सपुर0

सहारनपुर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 906 विपिन राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2180 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा साइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 साइकिल बरामद

अवगत कराना है दिनांक 17.03.2025 को वादी श्री मोनू पुत्र नेत्रपाल निवासी मौहल्ला अफगनान कला कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की साईकिल चोरी होने के संबंध में थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 22/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी तीतरो के कुशल नेतृत्व में आज दिंनांक 18.03.2025 को थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर साइकिल चोर/ अभियुक्त **राजेन्द्र पुत्र अतरसिंह निवासी मोहल्ला अफगनानकला कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला नई बस्ती कुरैशियान कस्बा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की साइकिल बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं शराब पीने व नशा करने का आदि हूँ ।अक्सर मेरे पास पैसो की तंगी रहती है।आज जब मैं चोरी की गयी साइकिल को बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राजेन्द्र पुत्र अतरसिंह निवासी मोहल्ला अफगनानकला कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 76/2012 धारा 110 (G) थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 178/2012 धारा 110 (G) थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 03/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60ex act थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 164/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 22/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना तीतरो जिला सहारनपुर

बरामदगी-

- चोरी की 01 साइकिल।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मदनपाल सिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर ,
2. का0 1606 दीपक यादव थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. का0 2263 सौरभ यादव, थाना तीतरो जिला सहारनपुर
4. का0 2494 देबू गौतम थाना तीतरो जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ,एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एंव 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई-

अवगत कराना है कि दिनांक 17-02-2020 को वादी निरी0 श्री मुनेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त अलीशान पुत्र जिन्दा निवासी घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर के कब्जे से 45 ग्राम स्मैक बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-79/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-458/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सेल द्वारा की गयी सशक्त पैरवी एंव प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीऱ एडीजे संख्या -11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18-03-25 को अलीशान पुत्र जिन्दा को मु0अ0स0-79/20 धारा 8/21 ,एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- ए0डी0जी0सी) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उप निरी0 श्री योगोन्द्र सिंह
पैरोकार का0- लवकुश थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।